न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्री काउवा पिता स्व. रामा खराड़ी निवासी मेताली फला भागेल तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नाथूलाल पुत्र स्व. श्री दलजी मीणा निवासी कोटाण तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री तहसीलदार डूंगरपुर तहसील कार्यालय डूंगरपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर दिनांक 22–12–2017 प्रकरण संख्या 45/2017 प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री बी.एल. पण्ड्या अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री मुकेश कुमार भट्ट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

——————/——————

निर्णय **दिनांक 31–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा विपक्षी अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मेताली की आराजी नंबर 1910/670 एवं 1914/670 प्रत्येक रकबा 5 बीघा कूल रकबा 10 बीघा का वह खातेदार व काबिज है। विपक्षी अपीलान्ट संख्या–1 आराजी संख्या 1914/670 में बेज़ा दखलन्दाजी कर निर्माण कराना चाहता है। अतएव उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाय।

अपीलान्ट विपक्षी द्वारा खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी फर्जी खातेदारी व आवंटन के आधार पर 5 बीघा के स्थान पर 10 बीघा भूमि पर खातेदारी प्राप्त करना चाहता है। भूमि उसे पैमुद ही नहीं हुई है, रेकर्ड त्रुटिपूर्ण है। खसरा संख्या 1910/670 वादी प्रार्थी को आवंटन ही नहीं हुई है। इस भूमि पर विपक्षी अपीलान्ट ही काबिज है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 22–12–2017 से रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई अतिक्रमण व निर्माण नहीं करने का आदेश जारी किया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–12–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–2–2018 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश भट्ट ने उपस्थिति दी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 सरकार की और से राजकीय पैरोकार उपथित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि आराजी संख्या 1910/670 की फर्जी प्रविष्टी करवाई गई है। पटवारी हल्का की विस्तृत रिपोर्ट भी रेकर्ड पर है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षें की बहस सुनी गई तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित आराजीयात दोनों का प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट खातेदार है। अपीलान्ट विपक्षी का यह कथन है कि उसे (रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी को) आराजी संख्या 1910/670 का आवंटन नहीं

हुआ तथा उसके नाम की गई इस आराजी नंबर 1910/670 की प्रविष्टी त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में दौराने अपील अपीलान्ट द्वारा पटवारी की एक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। जिसमें पटवारी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि आराजी नंबर 1914/670 रकबा 5 बीघा 2 बार अंकित हो गई है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट को राजस्व रेकर्ड से अधिक तरजीह नहीं दी जा सकती, दूसरे अपीलान्ट विपक्षी का इन आराजीयात में कोई हक अधिकार अथवा कब्जा होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण नहीं करने एवं निर्माण नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जो रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में जारी उचित एवं विधिक निर्णय प्रतीत होता है। अतएव हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–12–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर